न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 93/2024 GCMS NO 2024/153

1. रामकरण पुत्र कन्हेया
2. मलखान पुत्र कन्हैया
3. श्रीमती भुरबाई पत्नि रामकरण
4. कमल बाई पत्नि मलखान समस्त जातियान मीना निवासीयान लीलोटी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. राजूलाल पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी कारवाड मीना तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्ध मु0नं0 171/09 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.8.24 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री राधेश्याम शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री संजय शर्मा

दिनांक 28.11.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.8.24 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 द्वारा वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0न0 850 रकबा 2 ऐयर, 851 रकबा 1 ऐयर बारानी तीन वाके ग्राम कारवाड मीना तहसील हिण्डौन सिटी मे फैलीपुरा से कोटरी सडक के सहारे स्थित है। उक्त दोनो नम्बर का वशमूल ख0न0 853 का वादी ने एक ही चक बना रखा है जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध किसी प्रकार का नही है। प्रतिवादीगण झगडालू किस्म के लठैत व्यक्ति है। उक्त भूमि सडक किनारे स्थित होने के कारण बाजारू कीमत बढ गई है इसलिए प्रतिवादीगण विवादित भूमि मुतजिका मद न0 1 वाद पत्र पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है तथा वादीगण को बेदखल करना चाहते है। उक्त भूमि मे वादी द्वारा लगाये गये दो तीन हरे वक्षो बबूलो को प्रतिवादीगण दिनांक 10.8.09 को चोरी की नियत से काट कर ले गये जिसकी प्राथमिकी वादी द्वारा दर्ज कराने की कहने पर प्रतिवादीगण नाराज हो गये और वादी को भूमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दी गइ। तथा काश्त नही करने की धमकी भी दी गई। इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना लाजमी हुआ। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादी के कब्जे काश्त तथा खातेदारी की भूमि ख0न0 850 व 851 वाके ग्राम कारवाडी मीना तहसील हिण्डौन मे किसी भी भाग पर कब्जा ना करे वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा भूमि को वेस्ट डेमेज एलीनेट तथा ट्रासफर नही करे। रिकार्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे। अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांटगण/प्रतिवादीगण की और से यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व तीन तनकीयात कायम की गई जिस पर तनकी बार निर्णित नही कर अपने निर्णय मे यह कही भी अंकित नही किया कि जो तनकी वादी को साबित करनी थी वो वादी द्वारा साबित की गई व जो तनकी प्रतिवादी को साबित करनी थी वो प्रतिवादी द्वारा साबित नही की गई। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री कानून की मंशा के खिलाफ पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। रेस्पो/वादी [illegible] अपनी जिरह के बयानो मे यह अंकित किया था कि दिनांक 13.8.09 को अंतिम बार अपीलांट/प्रतिवादीगण ने धमकी दी थी उसके पश्चात कोई धमकी नही दी तथा बिना कोई वाद कारण अधिनस्थ न्यायालय ने वादी का उक्त दावा डिक्री करने मे भारी कानूनी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। खसरा न0 850 व 851 पर वादी/रेस्पो0 का आज तक न तो कोई कब्जा रहा और ना ही कभी उपयोग उपभोग रहा तथा बिना कब्जा व उपभोग उपयोग के बिना बेदखली रिलीफ वादी का उक्त दावा डिक्री करने मे अधिनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। अपीलांट/प्रतिवादीगण की भूमि खसरा न0 1013 वाके ग्राम कारवाड मीना मे स्थित है तथा उक्त भूमि मे होकर सडक निकल जाने के पश्चात अपीलांट/प्रतिवादीगण की भूमि का ही 2–3 ऐयर रकबा सडक के दूसरी तरफ रह गया है जिसके भू प्रबंध विभाग ने ख0न0 850 व [illegible] कायम किये है तथा उक्त भूमि सडक के सहारे वेशकीमती होने के [illegible] वादी/रेस्पो0 की नियत मे बदनियती आ गई तथा वादी/रेस्पो0 उक्त भूमि को अपीलांट/प्रतिवादीगण से जबरन छीनना चाहता है जबकि रेस्पो/वादी का उक्त भूमि से कोई संबंध वास्ता नही रहा इस बिन्दु पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर भारी कानूनी भूल की है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। अपीलांट/प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि पर तीन गह पाटोर पोश [illegible] रखी है तथा अपीलांट का ही उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है तथा कब्जे के अभाव मे वादी/रेस्पो0 का उक्त वाद स्थाई निषेधाज्ञा मेन्टेवल नही होने के कारण भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय व डिक्री पारित करने मे भारी कानूनी भूल की है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण/अपीलांटगण के बयानो पर गौर नही कर भारी कानूनी भूल की है। तथा अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे कही भी प्रतिवादीगण के बयानो का डिस्कस नही किया है इससे स्पष्ट साबित होता है कि अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय व डिक्री बिना माईण्ड एप्लाई किये ही पारित किया है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का न तो अपने निर्णय मे हवाला दिया और ना ही चस्पा किया इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री मनमानी होने से निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 2.8.24 को बहस सुनी गई तथा दिनांक 16.8.24 वास्ते आदेश नियत की गई। दिनांक 16.8.24 के पश्चात अपीलांट /प्रतिवादीगण उक्त निर्णय व डिक्री के बारे मे पूछते रहे तथा प्रतिवादीगण/अपीलांटगण ने दिनांक 12.9.24 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक [illegible] कि अपने निर्णय मे दिनांक 30.8.24 को ही निर्णय व डिक्री पारित करना [illegible] है। अगर दिनांक 30.[illegible] को ही निर्णय व डिक्री पारित हो जाती तो अपीलांट/प्रतिवादीगण को दिनांक 12.9.24 [illegible] प्राप्त हो जाती लेकिन अपीलांट/प्रतिवादीगण को उक्त निर्णय व [illegible] 22.10.24 को प्राप्त हुई जो करीबन डेढ माह के पश्चात नकल प्राप्त हुई। इस प्रकार नकल मिलने [illegible] अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.8.24 को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण का कब्जा है जबकि सत्यता यह है कि वादग्रस्त आराजीयात का वादी/रेस्पो0 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। जिस पर वादी काश्त कर लाभान्वित होता चला आ रहा है। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन भी मिथ्या है कि बिना वाद कारण के दावा चलने योग्य नही था, जबकि वादी/रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वाद पत्र मे वाद कारण का स्पष्ट उल्लेख मय दिनांक तक का उल्लेख किया गया है। वादी/रेस्पो0 द्वारा अपने वाद को सिद्व करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 व 2 पेश की गई है जिससे वादी का वाद पत्र सिद्व होता है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 2.8.24 को बहस सुनी जाकर वास्ते आदेश दिनांक 16.8.24 नियत की गई थी, परन्तु दिनांक 16.8.24 को पीठासीन अधिकारी के राजकार्य मे व्यस्त होने के कारण दिनांक 16.8.24 से दिनांक 30.8.24 वास्ते आदेश नियत की गई है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.8.24 को विधिवत रूप से आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो का विवेचन किये जाने के उपरान्त ही पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजीयात पर रेस्पो0 का कब्जा नही होकर अपीलांट का कब्जा काश्त है तथा उस पर अपीलांट द्वारा दो गह पाटोर पोश बना रखी है इसके सबंध मे पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है जिससे वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा सिद्व हो सके जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्घ छाया प्रति खसरा गिरदावरी सम्वत 2080 मे खसरा नं0 850 व 851 मे वादी/रेस्पो0 राजू पुत्र रामफूल की काश्त दर्ज है। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि बिना वाद कारण दावा चलने योग्य नही था। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दावे के अवलोकन से जाहिर है कि वाद कारण दिनांक 13.8.09 को प्रतिवादीगण/अपीलाट द्वारा वादी/रेस्पो0 को उक्त भूमि से जबरदस्ती कब्जा करने तथा बेदखल करने की धमकी देने का स्पष्ट उल्लेख है। इस प्रकार अपीलांट का उक्त कथन भी साबित नही होता है। वादग्रस्त आराजीयात का रेस्पो/वादी रिकार्डेड खातेदार है जिसकी पुष्टि पत्रावली मे उपलब्ध जमाबंदी सम्वत 2063 से 2066 प्रदर्श 1 से होती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी के प्रकरण संख्या 171/09 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.8.24 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:58 IST
Reason: SelfAttested

(लक्ष्मीकांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

डिगरी बसीगे अपील

(ओ. 41 रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix G)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम सवाई माधोपुर

बइजलास श्री लक्ष्मीकांत बालोत आर.ए.एस.

1. रामकरण पुत्र कन्हैया
2. मलखान पुत्र कन्हैया
3. श्रीमती भुरबाई पत्नि रामकरण
4. कमल बाई पत्नि मलखान समस्त जातियान मीना निवासीयान लीलोटी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. राजूलाल पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी कारवाड मीना तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

रेस्पो0

अपील संख्या 93/2024 निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी दिनांक 30.8.24 दावा स्थाई निषेधाज्ञा । यह अपील संख्या 93/24 व तारीख 28.11.25 रूबरू हमारे व हाजिरी श्री राधेश्याम शर्मा अभिभाषक मिन जानिब अपीलांट तथा रेस्पो0 श्री संजय शर्मा उभयपक्ष अधिवक्तागण की उपस्थिति समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी प्रकरण संख्या 171/09 निर्णय व डिक्री दिनांक 30.8.24 की पुष्टि की जाती है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 28.11.2025 को जारी किया।

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पो0	रूपये	पैसे
स्टाम्प अपील	----	----	स्टाम्प वकालतनामा	----	----
स्टाम्प वकालतनामा	----	----	स्टाम्प अर्जी	----	----
इजराय हुक्मनामा	----	----	इजराय हुक्मनामा	----	----
वकील फीस बाबत	----	----	महन्ताना वकील	----	----

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:26:58 IST
Reason: SelfAttested